

35/18 फर्द अहकाम बनाव कर्तिका



उपखण्ड अधिकारी  
ज्योति नगर (जयपुर)  
केस संख्या 3/2018  
आज्ञा विस्तृत रूप से

9-2-18

वकील जयदीप अग्रवाल अध्यायी सं. 19  
नारीकी अध्यायी सं. 4 उपस्थित नहीं  
हुए जाते हुए अज्ञात (मावाधी  
गपी कोइ इनकी गफ से उपस्थित  
नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध  
एकपक्षीय कार्य जारी आदेश में  
लापस जारी है पतावली वाले  
जेवरा साम्म दिनांक 16-3-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
ज्योति नगर (जयपुर)

16-3-18

वकील जयदीप अग्रवाल अध्यायी सं. 19  
नारीकी अध्यायी सं. 4 उपस्थित नहीं  
हुए जाते हुए अज्ञात (मावाधी  
गपी कोइ इनकी गफ से उपस्थित  
नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध  
एकपक्षीय कार्य जारी आदेश में  
लापस जारी है पतावली वाले  
जेवरा साम्म दिनांक 25-4-18 को पेश  
हो

उपखण्ड अधिकारी  
ज्योति नगर (जयपुर)

25-4-18

वकील जयदीप अग्रवाल अध्यायी सं. 19  
नारीकी अध्यायी सं. 4 उपस्थित नहीं  
हुए जाते हुए अज्ञात (मावाधी  
गपी कोइ इनकी गफ से उपस्थित  
नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध  
एकपक्षीय कार्य जारी आदेश में  
लापस जारी है पतावली वाले  
जेवरा साम्म दिनांक 12-6-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
ज्योति नगर (जयपुर)

12-6-18



जि. जगदीश

12-6-18 पतावली वाले  
अज्ञात (मावाधी गपी कोइ इनकी गफ से उपस्थित नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्य जारी आदेश में लापस जारी है पतावली वाले जेवरा साम्म दिनांक 20-1-18 को पेश हो उपस्थित हुए

फर्द अहकाम  
 जादी घुपहा, बनाम V/S बी कोरट

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

3/2018 ग्रा. पं. V/S 09R13Cpl

आज्ञा या  
 आही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

उपपक्षकार के मजका  
 ए आम से शुना गपा तथा सामान्तिवात पक्ष  
 प्रानुन पत्रावली का अणुकेन  
 किरा गपा बाद अधपन मन  
 व. अणुकेन पत्रावली गुणाव  
 गुण के आधार पर तथा  
 विधि के सुसंगत सिद्धान्तों  
 पर साक्षित नहीं होती है अतः  
 प्रकाण बाद शुनवापी खादी  
 किरा जाता है। पत्रावली  
 फेसल युक्त एक दाविल  
 पत्रा ए मिणघि मजका  
 ए आम से प्रकाण पुत्रापा  
 अथा प्रकाण मजक से कत  
 है।



पीठासीन अधिकारी  
 राजस्व लोक अदालत  
 न्याय आपके द्वार-2018  
 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)